

**एल; द"कद फोडकल वफकडज.क लक्यु] फ्त्यक लक्यु द य[ककवक दक वडक.क ,ओ फुजहक.क
ifronu**

vof/k 1-4-2009 ल 31-3-2010

1 xr वडक.क ifronu %&

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनो में समाविष्ट ऑडिट पैरों/अनुच्छेदों के सटिप्पण उत्तरों की अंकेक्षण के दौरान समीक्षा की गई व कुछ के ऑडिट पैरों/अनुच्छेदों का अंकेक्षण के दौरान निपटारा किया गया। पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से है :-

वडक.क ifronu vof/k 4@94 ल 3@95

पैरा 17	निर्णीत	(वर्ष 2008-2009 के दौरान उपदान की राशि प्राप्त कर ली गई है।)
---------	---------	--

वडक.क ifronu vof/k 4@99 ल 3@2000

पैरा 11	अनिर्णीत
---------	----------

वडक.क ifronu vof/k 4@2007 ल 3@2008

पैरा 7(ii)	निर्णीत	(वांछित कार्रवाई कर ली गई है।)
------------	---------	--------------------------------

पैरा 9	अनिर्णीत
--------	----------

वडक.क ifronu vof/k 3@2008 ल 4@2009

पैरा 5	निर्णीत	(वांछित कार्रवाई कर ली गई है।)
--------	---------	--------------------------------

पैरा 6	निर्णीत	(प्रस्तुत उत्तर के मध्यनजर पैरा समाप्त)
--------	---------	---

पैरा 7	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क प्राप्त पैरा समाप्त)
--------	---------	--------------------------------------

2 orieku vdk.k %&

मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन के लेखाओं, अवधि 4/2009 से 3/2010 का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री ज्ञान चन्द शर्मा, अनुभाग अधिकारी तथा श्री अमर दत्त, लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। अंकेक्षण दल द्वारा विस्तृत पड़ताल हेतु माह 1/2010 की आय तथा 3/2010 के व्यय का चयन किया गया जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए हैं। माहवार आय-व्यय विवरणी परिशिष्ट-‘क’ पर संलग्न है।

3 foUkh; fLFkfr %&

मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन के लेखाओं की आय-व्यय विवरणिका तथा तुलन पत्र (Balance Sheet) इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट -ख(i) से परिशिष्ट-ख(vi) में संलग्न है।

4 lgk;d vunku %&

वर्ष 2009-2010 के लिए मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन जिला सोलन को केन्द्र व राज्य सरकार से ₹11,79,153.00 की राशि सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त हुई जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट-‘ग’ पर संलग्न है।

5 fuol'k %&

मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन द्वारा वर्ष 2009-2010 के दौरान ₹15,92,665.00 का कुल निवेश किया गया जिसमें से ₹9,00,000.00 की राशि “दी जोगिन्द्रा सैन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक सीमित” के सावधी जमा में निवेशित है तथा ₹6,92,665.00 की राशि “विजय बैंक” सोलन के सावधी जमा में निवेशित है जिसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट-ध(I) परिशिष्ट-ध(2) पर संलग्न है।

6 vd{k.k 'kYd %&

मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन के वर्ष 2009-2010 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण व अन्य अभिलेखों को तैयार करने का अंकेक्षण शुल्क ₹8,800.00 आंका गया जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, षिमला-171009 के नाम भेजने हेतु अभिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से अधियाचना संख्या 208, दिनांक 27.9.2010 द्वारा आग्रह किया गया तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ऑक्सिस बैंक, सोलन के ड्राफ्ट/चैक संख्या “000063, 173211002, 66615231”,

दिनांक 1.10.2010 द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 को प्रेषित कर दिया गया ।

7 ykhkfkfk;k }kjk rkykc fuek.k dk dk; fu/kkfjr le; e ijk u dju d QyLo: i 0;Fk 0;; %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन द्वारा वर्ष 2007-2008, 2008-2009 व 2009-2010 में जिन लाभार्थियों को नये तालाबों के निर्माण व पुराने तालाबों की मरम्मत हेतु अनुदान राशि वितरित की गई थी उनक द्वारा तालाबों के निर्माण/मरम्मत हेतु प्रथम किस्त की प्राप्ति के उपरान्त 2-3 वर्षों तक भी तालाबों की मरम्मत या निर्माण का कार्य पूरा नहीं किया गया है जबकि अनुदान जारी करने की शर्तों के अनुसार लाभार्थी द्वारा अनुदान स्वीकृति के एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य को पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना वांछित था जिसकी अनुपस्थिति में ऐसा प्रतीत होता है कि योजना का कार्यन्वयन/पर्यवेक्षण सही प्रकार से नहीं किया जा रहा है और मत्सय कृषक विकास अभिकरण द्वारा अनुदान जारी कर अभिकरण के धन का व्यर्थ व्यय किया जा रहा था। अतः अभिकरण द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के कार्य का समय-समय पर पर्यवेक्षण किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि अभिकरण द्वारा दिए जा रहे अनुदान का सही प्रयोग हो तथा सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को प्राप्त हो सके। वर्ष 2007-2008 से 2009-2010 के दोषी लाभार्थियों की सूची निम्न प्रकार से है :-

rkykc fuek.k gr Lohd'r vunku dk fooj.k o"kd 2007&2008

Ø0	uke o irk	dI u0 o Lohd'r	igyh fdLr dI tkjh
I0		jkf'k	dju dh frfFk
1	श्री राम प्रकाश, सपुत्र श्री जायद राम, बिलासपुर	23/2007-2008 दिनांक 29.3.2008	₹13,200.00 ₹6,600.00 दिनांक 25.6.2008
2	श्री यशपाल, सुपुत्र श्री राम आसरा, जिला ऊना	24/2007-2008, दिनांक 29.3.2008	₹28,800, ₹14,400.00, दिनांक 29.5.2008

o" 2009&2010

- | | | | | | |
|---|------------------------------------|------------------|------------|-----------|------------------|
| 3 | श्री सुरेन्द्र शर्मा, सुपुत्र श्री | 1/2009-2010 | ₹10,800.00 | ₹5,400.00 | दिनांक 29.3.2010 |
| | निक्का राम बिलासपुर | दिनांक 12.6.2009 | | | |

rkykc ejFer o" 2008&2009

- | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
| 1 | श्री सुभाष चन्द्र, सुपुत्र श्री | 8/2008-2009, | ₹6,124.00 | ₹3,062.00, | दिनांक 11.3.2010 |
| | देवी चन्द ऊना | दिनांक 3.2.2009 | | | |
| 2 | श्री देवी चन्द, सुपुत्र श्री | 10/2008-2009, | ₹8,776.00, | ₹4,388.00, | दिनांक 11.3.2010 |
| | गोबिन्द राम, ऊना | दिनांक 3.2.2009 | | | |
| 3 | श्री नवजोत सिंह, सुपुत्र | 11/2008-2009, | ₹13,944, | ₹6,972.00, | दिनांक 11.3.2010 |
| | श्री चंचल सिंह, ऊना | दिनांक 3.2.2009 | | | |

8 eRl ; vf/kdkjh }kjk lLrfr r %Recomended% jkf'k l vf/kd jkf'k dh Lohdfr %&

मत्सय अधिकारी द्वारा श्री जगदीप राम, सपुत्र श्री आबरू राम, व श्री गुरदयाल सिंह, सपुत्र श्री सीता राम, गांव/डाकघर बस्सी, तहसील नैना देवी, जिला बिलासपुर के पक्ष में प्रथम वर्षिय आदानों के रूप में क्रमशः ₹5,190.00 व ₹8,680.00 प्रदान करने की संस्तुति/सिफारिश की गई थी परन्तु मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा दोनों के पक्ष में केस नम्बर 14 व 15/08-09, दिनांक 15.12.2008 द्वारा ₹5,500.00 व ₹10,375.00 स्वीकृत कर जारी कर दिये गए जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए इनमें आवश्यक सुधार किया जाए और अधिक किए गए भुगतान की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति न की जाए।

9 ipk;r }kjk tkjh {k= iek.k i= e =fv %&

बिल संख्या 58/2009-10 ₹56,722.00 के भुगतान की पड़ताल में पाया गया कि श्री देवी चन्द सुपुत्र श्री गोबिन्द राम गांव सन्होल, जिला ऊना को मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा 1.076 हैक्टेयर क्षेत्र में तालाब के पुर्ननिर्माण/मुरम्मत हेतु ₹4,388.00 की राशि स्वीकृत की गई थी परन्तु तालाब के दर्शाये गए

क्षेत्र में कतरन (Cutting) की गई है जिससे सही क्षेत्र की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः की गई कतरन को ग्राम पंचायत के प्रधान से दुरुस्त करवाकर सत्यापित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 vfHkdj.k d\ Hk.Mkj.k %Stores% d\ Hkkfrd IR;kiu ckj\ %&

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन द्वारा भण्डारण (Stores) का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 1971, खण्ड-1 के नियम 15.17 के अनुसार प्रतिवर्ष करवाया जाना वांछित था। अतः भण्डार में रखे सामान का भौतिक सत्यापन अब नियमित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदनुसार अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

11 y?k vkifUk fooj.khdk %& अलग से जारी नहीं की गई है।

12 lkjk'k %& लेखे सन्तोषजनक पाए गए।

vLohdfr %& यह अंकेक्षण प्रतिवेदन, मत्सय कृषक विकास अभिकरण सोलन, जिला सोलन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई जानकारी/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। अतः लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-171009 किसी भी गलत सूचना या सूचना के प्रदान न करने के कारण हुई त्रुटि से स्वयं को उत्तरदायित्व से अलग रखता है। लेखा परीक्षा का उत्तरदायित्व विस्तृत जांच हेतु चयनित मास तक ही सीमित है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

lk"Bkdu l[;k %& फिन(एल0ए)सी(15)(14)-101/86-खण्ड-7 दिनांक, शिमला-171009.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- i:thdr %&** 1 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्सय कृषक विकास अभिकरण शामती, स्थित सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का सटिप्पण उत्तर इस विभाग को अतिशीघ्र भेजे।
- 2 उप सचिव (मत्सय) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-171002.
- 3 मुख्य मत्सय प्रारक्षी, बिलासपुर, जिला बिलासपुर हिमाचल प्रदेश।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश शिमला-171009.

%vui delj%